



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223689
CG-DL-E-12122020-223689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3965]
No. 3965]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4512(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, श्री मुक्ता नाथ सैकिया, एसीएस (सेवानिवृत्त), असम सरकार को असम राज्य में मै. इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) की नार्थ-ईस्ट नंचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/161/2018-जी पी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2020

S.O. 4512(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Mukta Nath Saikia, ACS (Retired), Government of Assam, to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 for North-East Natural Gas Pipelines Grid Project of M/s. Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) in the state of Assam.

2. This notification will be effective from the date of its issue

[F. No. L-14014/161/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.